को पेश हुआ

23/8/19 आज पत्रावली पेश हुई। वकील अभी उप० अपील अर्थी की मूल आज्ञप्ति पत्रावली आज अंतरिम अदायगी आदेश लम्बित है। विपक्षी द्वारा पत्रावली का फैसला किया जा चुका है एवं निष्पादन हेतु पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः यह पत्रावली अभी अग्रिम कार्यवाही हेतु स्टेप्स कर अंतरिम अदायगी अनुपालना के लिए की जाती है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। केवल कुमार द्वारा नम्बर 6 करके वादी वकील तलाक मूल रखा रहे। सुनाया गया।